# कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.-भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/4/2009-10/

दिनांक:

भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

> विषय:— तहसील किशनगंज, जिला बारां के 4 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत । प्रसंग:— राजस्व ग्रुप—1 विभाग का पत्रांक प.13(4)राज—1/2010 दिनांक 17.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील किशनगंज, जिला बारां के 4 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना दिनांक 17.07.2020 अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां सलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

'संलग्नः– उपरोक्तानुसार

।। (बलदेव राम धोजक) अति०भू—प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 86। दिनांक:—: 17/08/2020 प्रतिलिपि:—1— प्रभारी, आई. टी. शाखा मुख्य कार्यालय जयपुर को अधिसूचना की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है ।

> अति०भू—प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

76 6 horo

## राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.-1 / 2010

जयपुर, दिनांक 17/7/2020

#### -: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या—15) की धारा—106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एत्दद्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना कमांक कमशः प0 13(15)राजः./ग्रुप—1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राजः./ग्रुप—1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राजः./ग्रुप—1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 203 ग्राम बन्द घोषित हो चुके है। शेष रहे ग्रामों में से 04 ग्राम यथा रामनगर, घट्टी, खैलना एवं गरड़ा का सर्वेक्षण/तरमीम पूर्ण करवाया जा चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्राम में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राकेश शर्मा) संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
- 2. जिला कलक्टर, बारां।

अ. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009—10/532 दिनांक 20.03.2020

- 4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू—प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
- 5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
- 6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,

## राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.-1/2010

जयपुर, दिनांक 17/7/2020

## -: अधिसूचना :-

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या—15) की धारा—107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एत्दद्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक प्रमुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना कमांक कमशः प0 13(15)राज./ग्रुप—1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप—1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./ग्रुप—1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संकियाओं के भार साधन हेतु भू—प्रबन्ध अधिकारी कोटा को अपर भू—अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 203 ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 04 ग्राम यथा रामनगर, घट्टी, खैलना एवं गरड़ा के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाकर अपर भू—अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

2 = (राकेश शर्मा) संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
- 2. जिला कलक्टर, बारां।

अ. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009—10/532 दिनांक 20.03.2020

- 4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू—प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
- 5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।

6. रक्षित पत्रावली।

. संयुक्त शासैन सचिव